चिकित्सीय
आपातकाल/एम्बुलेंस सेवा के लिए
कृपया 112 पर डायल करें।


# अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

बिजली चली गयी
1800–345–1111



रजि.न.34300/80 | संख्या 205 | श्री विजय पुरम, शनिवार, 01 अगस्त 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

## 'डीब्राइट' में "विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा" कार्यक्रम 2 अगस्त को

## माननीय प्रधानमंत्री का वर्चुअल संबोधन मुख्य आकर्षण होगा

श्री विजय पुरम, 31 जुलाई

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (दक्षिण अण्डमान ज़िला) द्वारा भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माई भारत, श्री विजय पुरम के सहयोग से 2 अगस्त, 2026 को सुबह 10 बजे डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट), श्री विजय पुरम के सभागार में "विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा" कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय जनआंदोलन को सशक्त बनाना तथा युवाओं को विकसित भारत@2047 के संकल्प को साकार करने में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा, जिसमें वे देशभर के युवाओं से संवाद करेंगे। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के माध्यम से देशभर के लगभग 10,000 स्थानों को जोड़े जाने तथा प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल माध्यम से एक करोड़ से अधिक युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा है। दक्षिण अण्डमान ज़िले में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में माई भारत के लगभग 1,000 स्वयंसेवकों एवं युवाओं के भाग लेने की संभावना है।

श्री विजय पुरम में आयोजित इस कार्यक्रम में माई भारत स्वयंसेवकों, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों तथा जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय (टीजीसीई), अण्डमान कॉलेज (एनकॉल), अण्डमान विधि महाविद्यालय (एएलसी), डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह चिकित्सा संस्थान (अनिम्स) तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) सहित प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त युवा क्लबों, गैर–सरकारी संगठनों, आध्यात्मिक संगठनों तथा विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी प्रतिभागी सामूहिक रूप से नशा मुक्त युवा शपथ ग्रहण करेंगे तथा नशामुक्त जीवनशैली अपनाने एवं अन्य लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने का संकल्प दोहराएंगे। अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन (दक्षिण अण्डमान ज़िला) तथा माई भारत, श्री विजय पुरम ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, अभिभावकों एवं नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं, से इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय भागीदारी करने तथा माई भारत पोर्टल के माध्यम से ई–शपथ लेने की अपील की है। साथ ही, जनसंचार माध्यमों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार करें, ताकि नशा मुक्त भारत के इस राष्ट्रीय जनआंदोलन में अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

## अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा




श्री विजय पुरम, 31 जुलाई

प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य–2, केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से 1 अगस्त से 7 अगस्त, 2026 तक पूरे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष की थीम "जीवन की सतत शुरूआत के लिए स्तनपान : जो प्रभावी है उसे और सशक्त बनाएं" है। यह थीम स्तनपान से संबंधित प्रगति की निगरानी, उसके प्रभाव का मूल्यांकन तथा सिद्ध एवं प्रभावी हस्तक्षेपों का विस्तार करने पर बल देती है, ताकि माताओं एवं शिशुओं के लिए सहयोगात्मक व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके तथा स्तनपान के बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। सप्ताह भर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य सरकार, स्वास्थ्य प्रणाली, कार्यस्थलों, समुदायों एवं परिवारों को जागरूक, शिक्षित एवं सशक्त बनाना है, ताकि स्तनपान के अनुकूल वातावरण का निर्माण एवं उसे निरंतर बनाए रखा जा सके। इस दौरान जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने, जीवन के प्रथम छह माह तक केवल स्तनपान कराने, तथा उसके बाद दो वर्ष या उससे अधिक आयु तक उपयुक्त पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखने पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से सामुदायिक स्तर एवं स्वास्थ्य संस्थानों में व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां आयोजित करेगा। स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध प्रत्येक अवसर का उपयोग करते हुए गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं तथा उनके परिवार के सदस्यों को उचित स्तनपान पद्धतियों के महत्व एवं लाभों के बारे में परामर्श देंगे।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सप्ताह भर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में स्तनपान को बढ़ावा देने तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, परामर्श सत्र, स्वास्थ्य वार्ताएं एवं सामुदायिक जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

## मध्य अण्डमान में 77वें वन महोत्सव का समापन

## पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की साझा ज़िम्मेदारी है : उपायुक्त, उत्तर व मध्य अण्डमान






मायाबंदर, 31 जुलाई

मध्य अण्डमान वन प्रभाग, रंगत द्वारा आज 77वें वन महोत्सव–2026 के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता को समर्पित माहभर चलने वाले इस महोत्सव के सफल समापन का प्रतीक रहा। इस अवसर पर उत्तर व मध्य अण्डमान के उपायुक्त श्री सुशांत पधा, आईएएस, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक श्री विकास स्वामी, आईपीएस, विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। मध्य अण्डमान के प्रभागीय वनाधिकारी श्री विकास यादव, आईएफएस, ने उपस्थित जनसमूह का स्वागत किया तथा महोत्सव के दौरान सफलतापूर्वक आयोजित किए गए वृक्षारोपण अभियान, जागरूकता कार्यक्रम, प्रतियोगिताओं, मिनी मैराथन तथा अन्य गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विवेकानंद केंद्र ज़िला परिषद विद्यालय, रंगत एवं सेंट ज़ेवियर्स स्कूल, रंगत के विद्यार्थियों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। इसके साथ ही आईटीआई बकुलतला के विद्यार्थियों तथा मध्य अण्डमान वन प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विचारोत्तेजक नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए गए।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार समारोह में सहायक आयुक्त, रंगत श्री दीपांशु वोहरा, एसडीपीओ, रंगत श्री महेंद्र सिंह चारण सहित पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री सुशांत पधा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की साझा ज़िम्मेदारी है तथा सभी नागरिकों से वनों की सुरक्षा एवं वन महोत्सव के दौरान लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक श्री विकास स्वामी, आईपीएस, ने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में सामुदायिक सहभागिता के महत्व पर बल दिया तथा युवा पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण का दूत बनने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में प्रभागीय वनाधिकारी ने 77वें वन महोत्सव–2026 को भव्य सफलता बनाने में सहयोग प्रदान करने के लिए सभी सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों, स्वयंसेवकों तथा आमजन के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण, गणमान्य अतिथियों को स्मृति–चिह्न भेंट करने तथा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समृद्ध वनों एवं जैव विविधता के संरक्षण के प्रति सामूहिक संकल्प को पुनः दोहराया गया।

## चिड़ियाटापू के जैविक उद्यान में 'रेनफॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल' आज




श्री विजय पुरम, 31 जुलाई

वर्ष 2026–27 के दौरान अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा आयोजित किए जा रहे पर्यटन मेलों, उत्सवों एवं कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत, निदेशालय द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के सहयोग से 1 अगस्त, 2026 (शनिवार) को जैविक उद्यान, चिड़ियाटापू में 'रेनफॉरेस्ट बर्डिंग ट्रेल' का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की समृद्ध पक्षी विविधता एवं प्राकृतिक वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।

प्रतिभागियों को अनुभवी पक्षी विशेषज्ञों एवं विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में द्वीपसमूह के प्रमुख पक्षी अवलोकन स्थलों में से एक का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान उन्हें स्थानिक एवं प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों, वर्षावन पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

शेष पृष्ठ 4 पर

## गुप्तापाड़ा पंचायत में बाल श्रम रोकथाम पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम संचालित

श्री विजय पुरम, 31 जुलाई

समाज कल्याण निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति (एससीपीएस) द्वारा दक्षिण अण्डमान के गुप्तापाड़ा पंचायत में "बाल श्रम की रोकथाम एवं बाल अधिकारों के संरक्षण" विषय पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा मादक पदार्थों की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीपीडीआर) तथा विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र (यूडीआईडी) योजना के सहयोग से किया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी जागरूक किया गया तथा बताया गया कि यदि कोई बच्चा दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण, मानव तस्करी, बाल श्रम अथवा किसी भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहा हो, जिसमें तत्काल देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता हो, तो इसकी सूचना 1098 पर कॉल करके दी जा सकती है, जिससे संबंधित प्राधिकारी समय पर आवश्यक हस्तक्षेप कर सकें।

कार्यक्रम की संसाधन व्यक्ति एवं 'पंख' एनजीओ की संस्थापक ने बाल श्रम और आयु के अनुरूप घरेलू ज़िम्मेदारियों के बीच अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना न केवल उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि उन्हें शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य तथा सुरक्षित भविष्य से भी वंचित करता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने, खेलने,

शेष पृष्ठ 4 पर

## फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी प्रशिक्षण से 24 ग्रामीण युवा एवं महिलाएं लाभान्वित

श्री विजय पुरम, 31 जुलाई

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई–ग्रामीण स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), श्री विजय पुरम द्वारा 6 जुलाई से 18 जुलाई, 2026 तक आयोजित 12 दिवसीय फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से दक्षिण अण्डमान के 24 ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को लाभ मिला। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें फास्ट फूड क्षेत्र में स्वरोज़गार स्थापित करने के लिए व्यावहारिक कौशल एवं उद्यमिता संबंधी ज्ञान प्रदान किया गया।

समापन समारोह में एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री संतोष साहू, यूटीएलबीसी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के मुख्य प्रबंधक श्री पी. के. उमर फारूक़ तथा 'दिशा' एनजीओ के निदेशक श्री आरोग्य राज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कई प्रशिक्षुओं ने अपने प्रशिक्षण अनुभव साझा किए तथा उपयोगी कौशल सीखने का अवसर प्रदान किए जाने पर आभार व्यक्त किया।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री संतोष साहू ने

शेष पृष्ठ 4 पर

C M Y K

# लिटिल अण्डमान में सीडब्ल्यूएसएन के लिए पहचान और मूल्यांकन शिविर

श्री विजय पुरम, 31 जुलाई

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए पहचान एवं मूल्यांकन शिविर–2026 का आयोजन खंड परियोजना कार्यालय, लिटिल अण्डमान द्वारा समावेशी शिक्षा, समग्र शिक्षा के अंतर्गत, श्री विजय पुरम स्थित अलिम्को–पीएमडीके और श्री विजय पुरम स्थित समाज कल्याण निदेशालय के सहयोग से किया जा रहा है। यह शिविर पूर्व–प्राथमिक (पीपी) से कक्षा बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लिए खुला है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) और किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित होने की आशंका वाले बच्चे भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य प्रारंभिक पहचान, मूल्यांकन, मार्गदर्शन और पुनर्वास सहायता प्रदान करना है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार मंगलवार 4 अगस्त, 2026 को सुबह 9 बजे सीआरसी, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, आर.के. पुर, बुधवार 5 अगस्त को सुबह 9 बजे सीआरसी, पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, हटबे में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में अलिम्को–पीएमडीके, श्री विजय पुरम के प्रोस्थेटिस्ट व ऑर्थोटिस्ट श्री सब्बीर रहमान बिश्वास, अलिम्को–पीएमडीके, श्री विजय पुरम के डेटा एंट्री ऑपरेटर श्री हरि शंकर चव्हाण, अलिम्को–पीएमडीके, श्री विजय पुरम के ऑडियोलॉजिस्ट श्री नवीन आनंद तथा समाज कल्याण निदेशालय के यूडीआईडी कर राज्य समन्वयक सुश्री जांसी भी उपस्थित रहेंग।

चिकित्सा मूल्यांकन शिविर के लाभ के तहत संदिग्ध विकलांगता वाले बच्चों की शीघ्र पहचान और मूल्यांकन, सहायता सेवाओं के लिए पात्र सीडब्ल्यूएसएन छात्रों का मूल्यांकन, एडीआईपी योजना के तहत प्रत्येक बच्चे की जरूरतों और पात्रता के आधार पर मुफ्त सहायक उपकरण और यंत्रों की सिफारिश और उन्हें उपलब्ध करना शामिल हैं। साथ ही माता–पिता और अभिभावकों को चिकित्सा, शिक्षा, सहायक उपकरणों, यूडीआईडी पंजीकरण और पुनर्वास सेवाओं के संबंध में पुनर्वास पेशेवरों से विशेषज्ञ मार्गदर्शन और परामर्श प्राप्त होगा।

लिटिल अण्डमान खंड परियोजना कार्यालय अभिभावकों, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं और आम जनता से इस शिविर के बारे में जागरूकता फैलाने की अपील करता है ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चे इस पहल से लाभान्वित हो सकें। शीघ्र पहचान और समय पर हस्तक्षेप से बच्चे की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है।

''आइए, मिलकर यह सुनिश्चित करें कि विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे को वह देखभाल, समर्थन और अवसर मिले जिसके वे हक़दार हैं।''

# न्यू बिम्बलीटान और कामराज नगर के पशुपालकों को पशु पुष्टिकरण किट एवं हाइब्रिड नेपियर तने की कलमों का वितरण

श्री विजय पुरम, 31 जुलाई

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय गाराचरामा एवं उनकी टीम के माध्यम से 31 जुलाई, 2026 को न्यू बिम्बलीटान गांव तथा कामराज नगर में पशुपालकों के घर–घर जाकर पशु पुष्टिकरण किट तथा हाइब्रिड नेपियर तने की कलमों का वितरण किया गया। भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी (ईटीटी) से गुजर चुके पशुओं वाले किसानों को कुल पांच पशु पुष्टिकरण किट प्रदान किए गए। इन किटों में चीलेटेड मिनरल मिश्रण, मिनरल खंड, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, हरकाल–पी तथा प्रोबायोटिक हेपासिन शामिल थे। इन पोषण सहायता किटों का उद्देश्य पशुओं के समग्र स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उत्पादकता में सुधार करना है। वितरण के दौरान टीम ने लाभार्थियों को किटों के सही उपयोग की जानकारी दी तथा संतुलित आहार, पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और बेहतर परिणामों के लिए पशुओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सहित वैज्ञानिक पशुपालन पद्धतियों को अपनाने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, पशुपालकों के बीच चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यू बिम्बलीटान में 10 पशुपालकों को उनके घर–घर जाकर हाइब्रिड नेपियर की 3000 तना कलमों का वितरण किया गया। चारे की ये कलमें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, सरकारी चारा फार्म, पशुधन फार्म परिसर, डॉलीगंज द्वारा उपलब्ध कराई गईं। हाइब्रिड नेपियर एक उच्च उत्पादन वाली बहुवर्षीय चारा प्रजाति है, जो खेत स्तर पर हरे चारे की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है तथा बाहरी चारा स्रोतों पर निर्भरता को कम करती है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, घर–घर जाकर की गई ये पहल किसानों को पोषण अनुपूरण, बेहतर चारा संसाधन तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के विभाग के सतत प्रयासों का हिस्सा है। विभाग द्वीपसमूह में पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने तथा सतत डेयरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

# प्राकृतिक खेती की तैयारियों पर व्यावहारिक प्रदर्शन

श्री विजय पुरम, 31 जुलाई

आईसीएआर–केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआईएआरआई), श्री विजय पुरम द्वारा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) तथा संस्थान की परियोजना ''द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत धान आधारित फसल प्रणाली में जैविक एवं प्राकृतिक खेती आदानों का मूल्यांकन'' के तहत अपने क्षेत्रीय एवं तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाले आदानों की तैयारी पर एक दिवसीय विधि प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रदर्शन के दौरान बीजामृत, जीवामृत, घनजीवामृत तथा नीमास्त्र की वैज्ञानिक विधि से तैयारी एवं उनके उपयोग का प्रदर्शन किया गया। साथ ही मृदा स्वास्थ्य में सुधार, फसल उत्पादकता बढ़ाने, कीट नियंत्रण, रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम करने तथा सतत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में इनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को बताया गया कि बीजामृत का उपयोग बीज उपचार के लिए किया जाता है, जिससे बीजों की अंकुरण क्षमता बढ़ती है तथा वे बीजजनित रोगों से सुरक्षित रहते हैं। जीवामृत एक सूक्ष्मजीवी जैव–वर्धक के रूप में कार्य करता है, जो मृदा की उर्वरता बढ़ाने, पौधों की वृद्धि एवं पुष्पन को प्रोत्साहित करने तथा सिंचाई जल अथवा पर्णीय छिड़काव के माध्यम से प्रयोग किए जाने पर फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। घनजीवामृत, जो जीवामृत का ठोस रूप है, मृदा में सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ाता है तथा जैविक खादों के अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र कर फसलों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है। नीमास्त्र, जो नीम आधारित एक वनस्पति जैव–कीटनाशक है, का प्रदर्शन रस चूसने वाले कीटों तथा छोटी सूंडियों के पर्यावरण–अनुकूल प्रबंधन के प्रभावी उपाय के रूप में किया गया। प्रतिभागियों को इन प्राकृतिक खेती आदानों की तैयारी की विधि, सामग्री के अनुपात तथा खेतों में इनके प्रयोग की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम प्रधान वैज्ञानिक डॉ. आई. जयशंकर के मार्गदर्शन में पाठ्यक्रम निदेशक के रूप में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन वैज्ञानिक डॉ. गुरुनाथ रेड्डी, वैज्ञानिक डॉ. अभिलाष, वैज्ञानिक डॉ. अर्कदेब मुखोपाध्याय तथा प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, आईसीएआर–कृषि विज्ञान केंद्र, दक्षिण अण्डमान, डॉ. वाई. रामकृष्ण द्वारा किया गया। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस प्रदर्शन कार्यक्रम से संस्थान के कर्मचारियों की तकनीकी क्षमता को सुदृढ़ करने में सहायता मिली, जिससे वे अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में प्राकृतिक खेती की तकनीकों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन एवं प्रसार कर सकेंगे। इससे पर्यावरणीय रूप से सतत एवं जलवायु–अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिलेगा। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन आईसीएआर–सीआईएआरआई, श्री विजय पुरम के निदेशक डॉ. जयसुंदर के मार्गदर्शन में किया गया।

# उत्तर व मध्य अण्डमान पुलिस की दो अलग–अलग मादक पदार्थ रोधी कार्रवाइयों में दो व्यक्ति गिरफ्तार

मायाबंदर, 31 जुलाई

मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार एवं दृढ़ अभियान के तहत उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस ने त्वरित अंतराल में दो अलग–अलग एनडीपीएस मामलों का सफलतापूर्वक पता लगाकर एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस थाना कालीघाट एवं पुलिस थाना बिलीग्राउंड द्वारा चलाए गए इन अभियानों में लगभग 183 ग्राम संदिग्ध गांजा बरामद किया गया तथा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) के प्रावधानों के तहत दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पहले अभियान में विश्वसनीय गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस थाना कालीघाट के प्रभारी अधिकारी उप–निरीक्षक शिवेंद्र नाथ हल्दर के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने 28 जुलाई, 2026 को किशोरीनगर में छापेमारी की। टीम ने किशोरीनगर में एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसके कब्ज़े से लगभग 50 ग्राम संदिग्ध गांजा बरामद किया गया। दूसरे अभियान में 30 जुलाई, 2026 को पुलिस थाना बिलीग्राउंड की एक टीम ने शांतिपुर के निकट एक संदिग्ध व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्ज़े से लगभग 133 ग्राम संदिग्ध गांजा बरामद किया गया। दोनों मामलों में बरामद मादक पदार्थ को विधिवत ज़ब्त कर लिया गया तथा सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद मादक पदार्थ के स्रोत का पता लगाने तथा इस अवैध मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों अभियान श्री राहुल विक्रम, दानिप्स, एसडीपीओ, डिगलीपुर तथा श्री महेंद्र सिंह चारण, दानिप्स, एसडीपीओ, रंगत के पर्यवेक्षण में तथा उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के पुलिस अधीक्षक श्री विकास स्वामी, आईपीएस, के समग्र निर्देशन में संचालित किए गए। यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा समाज को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव से सुरक्षित रखने के प्रति ज़िला पुलिस की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पुलिस ने आम जनता से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है। किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा 100 एवं 112 हेल्पलाइन नंबरों पर दें। सभी सूचनादाताओं की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा उपयोगी एवं कार्रवाई योग्य सूचना देने वालों को उपयुक्त पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।

## फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी प्रशिक्षण से 24 ग्रामीण ——————पृष्ठ 1 का शेष

प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान एवं व्यावहारिक कौशल का प्रभावी उपयोग कर अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वरोज़गार उन्हें न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि अन्य ग्रामीण युवाओं को भी उद्यमिता अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

श्री आरोग्य राज ने कौशल उन्नयन के प्रति प्रशिक्षुओं द्वारा दिखाए गए उत्साह की सराहना की तथा उन्हें समर्पण एवं आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 'दिशा' एनजीओ इच्छुक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को फास्ट फूड स्टॉल स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा, जिससे उनकी उद्यमिता यात्रा को सहयोग मिलेगा।

इस अवसर पर एसबीआई–आरएसईटीआई के निदेशक श्री सी. राज ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कार्यक्रम के प्रभावी संचालन में डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीब्राइट) के होटल प्रबंधन विभाग द्वारा प्रदान किए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम का समापन सफल प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र वितरित करने तथा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

## गुप्तापाड़ा पंचायत में बाल श्रम रोकथाम ——————————पृष्ठ 1 का शेष

सुरक्षित वातावरण में विकसित होने तथा अपनी पूर्ण क्षमता का विकास करने का अधिकार है। उन्होंने अभिभावकों एवं समुदाय के सदस्यों से बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बाल श्रम को हतोत्साहित करने तथा जोखिम की स्थिति में रहने वाले बच्चों की पहचान के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया। गुप्तापाड़ा पंचायत के प्रधान ने समाज कल्याण निदेशालय की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम बच्चों के संरक्षण में सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करते हैं तथा सुरक्षित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, अभिभावकों, महिलाओं, युवाओं एवं समुदाय के सदस्यों सहित लगभग 250 लाभार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन इस सामूहिक संदेश के साथ हुआ कि बच्चों का संरक्षण केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि प्रत्येक परिवार और प्रत्येक नागरिक की भी ज़िम्मेदारी है। आज का सुरक्षित बचपन ही कल के सशक्त, स्वस्थ एवं ज़िम्मेदार समाज की मजबूत नींव है।

## चिड़ियाटापू के जैविक उद्यान में ——————————पृष्ठ 1 का शेष

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर विभाग द्वारा 35 पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें प्रकृति प्रेमी, पक्षी अवलोकनकर्ता, विद्यार्थी, फोटोग्राफर, ट्रैवल एजेंट, पारिस्थितिकी पर्यटन से जुड़े हितधारक तथा आम नागरिक शामिल होंगे। ऐसे प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे 1 अगस्त, 2026 को सुबह 6.45 बजे सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय, श्री विजय पुरम परिसर में समय पर उपस्थित हों, जहां से उन्हें कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाएगी।

अन्य इच्छुक प्रतिभागी सुबह 7.30 बजे सीधे जैविक उद्यान, चिड़ियाटापू पहुंचकर भी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। बर्डिंग ट्रेल का शुभारंभ सुबह 8 बजे होगा।

प्रतिभागियों को आरामदायक बाहरी परिधान एवं पैदल चलने के लिए उपयुक्त जूते पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्हें दूरबीन, कैमरा, पेयजल, टोपी अथवा हैट तथा प्रकृति भ्रमण के लिए आवश्यक अन्य व्यक्तिगत सामग्री साथ लाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने सभी प्रकृति प्रेमियों से इस ज्ञानवर्धक अनुभव में भाग लेने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उत्तरदायी, सतत एवं प्रकृति–आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने में अपना योगदान देने का आह्वान किया है। सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा स्पष्टीकरण के लिए इच्छुक प्रतिभागी प्रबंधक (संचालन/पर्यटन), सूचना, प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय से मोबाइल नंबर 9933255364 पर संपर्क कर सकते हैं।

# किशोरीनगर में अवैध शराब ज़ब्त, 300 लीटर लेहान नष्ट

मायाबंदर, 31 जुलाई

अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध अपने निरंतर अभियान को जारी रखते हुए उत्तर अण्डमान की कालीघाट पुलिस थाना की एक विशेष टीम ने 27 जुलाई, 2026 को किशोरीनगर में सफल छापेमारी की। यह कार्रवाई उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री को पूर्णतः समाप्त करने के लिए चलाए जा रहे सघन अभियान का हिस्सा है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक स्थानीय आवास के निकट स्थित संदिग्ध निर्माण स्थल पर छापा मारा। प्रारंभिक तलाशी के दौरान 3.6 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इसके बाद संदिग्ध से पूछताछ के आधार पर पुलिस दल संपत्ति के पीछे स्थित वन क्षेत्र में पहुंचा, जहां बड़े ड्रमों में छिपाकर रखे गए 300 लीटर लेहान (किण्वित घोल) का पता चला। पुलिस टीम ने कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए मौके पर ही 300 लीटर लेहान को नष्ट कर दिया तथा तैयार अवैध शराब को ज़ब्त कर लिया। इस संबंध में आबकारी विनियम के तहत मामला दर्ज़ कर लिया गया है तथा अवैध कारोबार से जुड़े व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति में आमजन से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की गई है। किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना निकटतम पुलिस थाना, हेल्पलाइन 100 एवं 112, अथवा दूरभाष संख्या 03192–273344 पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा उपयोगी सूचना देने वालों को उपयुक्त पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।

## बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी

श्री विजय पुरम, 31 जुलाई

स्थानीय उपभोक्ताओं एवं सभी सरकारी विभागों को सूचित किया जाता है कि गाराचरामा उप केंद्र स्थित 33 केवी बस स्टेशन–2 में आउटडोर 33 केवी स्विचयार्ड के अत्यावश्यक अनुरक्षण कार्य के कारण 1 अगस्त, 2026 को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद (फोर्स शटडाउन) रखी जाएगी। इस अवधि के दौरान पैंथर–2, वी.ओ.आर. टाई लाइनें, 10 एमवीए ट्रांसफार्मर–2 तथा 1 एमवीएआर शंट रिएक्टर ग्रिड से बाहर रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप 33 केवी टाइगर फीडर तथा 11 केवी गाराचरामा, चिड़ियाटापू एवं ब्रुक्शाबाद फीडरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उपरोक्त अवधि के दौरान बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उपरोक्त समय अनुमानित है तथा मौसम की परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। यदि अनुरक्षण कार्य निर्धारित समय से पूर्व पूर्ण हो जाता है, तो संबंधित फीडर अथवा लाइन में बिजली आपूर्ति उसी के अनुरूप बहाल कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए विद्युत विभाग की वेबसाइट **(https://vidyut.andaman.gov.in)** का अवलोकन करें। बिजली आपूर्ति से संबंधित किसी भी समस्या के लिए उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज़ कराने हेतु टोल–फ्री नंबर 1800–345–1111 पर संपर्क कर सकते हैं।

## अंतिम मेरिट सूची प्रकाशित

श्री विजय पुरम, 31 जुलाई

यहां प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय (टीजीसीई), श्री विजय पुरम में अतिथि संकाय (गेस्ट फैकल्टी) के पैनल के लिए अंतिम मेरिट सूची महाविद्यालय की वेबसाइट **https://tgce.and.nic.in** पर अपलोड कर दी गई है। यह सूची महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित कर दी गई है।

## फायरिंग अभ्यास

श्री विजय पुरम, 31 जुलाई

वन प्रशिक्षण संस्थान, विम्बर्लीगंज के वन रक्षक (प्रशिक्षु) 54वें बैच का लघु शस्त्र फायरिंग अभ्यास 1 अगस्त, 2026 को पुलिस फायरिंग रेंज, बर्ड लाइन, प्रोथरापुर में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक (दिवाकालीन फायरिंग) आयोजित किया जाएगा।

दक्षिण अण्डमान के जिलाधीश द्वारा जारी अधिसूचना में आम जनता, विशेष रूप से बर्ड लाइन एवं प्रोथरापुर क्षेत्र के ग्रामीणों एवं स्थानीय निवासियों को सूचित किया गया है कि वे उक्त तिथि एवं समय के दौरान स्वयं तथा अपने मवेशियों को फायरिंग रेंज से दूर रखें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

F.No. RCS/25-20/2025/
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन,
सचिव (सहकारिता)–व–पंजीकार सहकारी समितियों का कार्यालय, कामराज (वीआईपी) रोड, श्री विजय पुरम

## सूचना

यह सूचित किया जाता है कि अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह सहकारिता नीति, 2025 का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर सभी संबंधित पक्षों की जानकारी हेतु अपलोड कर दिया गया है। इसे विभागीय वेबसाइट https://rcs.andamannicobar.gov.in पर देखा जा सकता है।

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि यदि इस प्रारूप नीति के संबंध में उनके कोई दावा अथवा सुझाव हों, तो वे संबंधित अभिलेखों/समर्थनकारी दस्तावेजों सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त किसी भी दावा अथवा सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

सहायक रजिस्ट्रार (मुख्यालय)
सहकारिता समितियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय
श्री विजय पुरम

## संक्षिप्त ई–निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

F.No. E 150879 M-13/30/2026/1208 दिनांक 30.07.2026

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स संख्या 180, श्री विजय पुरम (अनिडको) कि ओर से उन कॉन्ट्रैक्टर/एजेंसियों से ऑनलाइन टेंडर (द्वितीय आमंत्रण) आमंत्रित करता है जिनके पास होटलों, रिसॉर्ट्स आदि में रेनोवेशन/आर्टिस्टिक डिज़ाइन के लिए इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इनोवेशन और टेक्निकल विशेषज्ञता का अनुभव है। इसमें अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग में उनके एनलिस्टमेंट (पंजीकरण) की कोई शर्त नहीं है, बशर्ते उनके पास इन द्वीपों तथा मुख्य भूमि में अन्य भारत सरकार के संगठनों के साथ समान प्रकृति के कार्य निष्पादित करने का अनुभव हो और निम्नलिखित कार्य के लिए उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी न हो :

एन.आई.टी.सं. अनिडको/सीडब्लू/26–27/टीडी–18
कार्य का नाम : डॉल्फ़िन रिज़ॉर्ट, स्वराज द्वीप में कॉफ़्रेंस हॉल से जुड़े स्टोर को किचन, कैफ़े और बार में बदलने का काम; इसके लिए इंटीरियर डिज़ाइन और काम पूरा करने के लिए क्यूसीबीएस के ज़रिए वेंडर चुने गए हैं।
निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क : लागू नहीं
बयाना राशि : रु. 50,770/–
कार्य पूर्ण करने की अवधि : 120 दिन
निविदा दस्तावेज़ प्रकाशन तिथि : 31.07.2026
निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड/आरंभ तिथि : 31.07.2026 के अपराह्न 2.00 बजे
निविदा दस्तावेज़ जमा करने की आरंभ तिथि : 03.08.2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि : 06.08.2026 के अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि : 07.08.2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे
निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
निविदा आईडी : 2026_ANCVL_23845_2

महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको

## ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–I, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, कैंपबेल बे की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी–I/आर आर(सीसीए)/2026–27/84
कार्य का नाम : कैंपबेल बे ग्राम पंचायत के अंर्तगत वार्ड संख्या 02 में बाबुलैन मुख्य सड़क से अलोनिवि वर्कशॉप तक ब्लैक टॉप रोड की मरम्मत और रखरखाव।
अनुमानित लागत : रु. 11,43,504/–, धरोहर राशि : रु. 22,870/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (03) तीन माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 10/08/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_24010_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल–I,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

F.No: 1076/MSO/PMB/Part-V(A-1)
PORT MANAGEMENT BOARD
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS, Sri Vijaya Puram dated 31st July 2026

## PRESS RELEASE

In view of Independence Day Celebration on 15.08.2026, it is hereby directed that all IV boats shall continue to operate from Junglighat Terminal on 13th , 14th& 15th August 2026. All owners of Jetski/Para Sailing, Sport vessels are also directed to park their Jetski / Para Sailing vessels at their designated place on the above date and time on 13th 14th& 15th August 2026.

Sd/-
Harbour Master

## देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली को मजबूत करने के लिए किए गए उपाय

नई दिल्ली, 31 जुलाई।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने का दायित्व सौंपा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

खाद्य एवं खाद्य उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण व्यवस्था के अंतर्गत एफएसएसएआई ने खाद्य नमूनों के विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त 259 प्रयोगशालाओं तथा अपील संबंधी नमूनों के विश्लेषण के लिए 24 रेफरल खाद्य प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है।

देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने वाली एसओएफटीईएल योजना, जिसमें मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एमएफटीएल) की व्यवस्था भी शामिल है, एफएसएसएआई की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं को उन्नयन करना, सूक्ष्मजीव विज्ञान सुविधाओं की स्थापना करना तथा मोबाइल खाद्य परीक्षण वैनों की तैनाती करना है। इस योजना के तहत 47 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नत विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित करके उनका ढांचागत उन्नयन किया गया है और रासायनिक, भारी धातु और जैविक संदूषकों का पता लगाने के लिए 34 विशेषीकृत सूक्ष्मजीव विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। एमएफटीएल या फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) खाद्य परीक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए व्यापक पहुंच प्रदान करता है, विशेष रूप से गांवों, शहरों और दूरस्थ क्षेत्रों में। वर्तमान में, 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 305 एफएसडब्ल्यू संचालित हैं।

"मैजिक बॉक्स" एक छोटा और उपयोगकर्ता अनुकूल परीक्षण किट है, जिसमें सात अलग–अलग खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले सामान्य मिलावटों का पता लगाने के लिए सरल और त्वरित परीक्षण विधियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य दूध, मसाले, तेल और अनाज जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान करना है।

त्वरित परीक्षण द्वारा मिलावट का पता लगाने (डीएआरटी) वाली पुस्तक में 44 परीक्षण शामिल हैं, जिन्हें घरेलू स्तर पर पानी और आयोडीन टिंचर जैसे सरल घोलों की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। ये परीक्षण दूध और दूध उत्पादों, तेल और वसा, चीनी और मिठाई, अनाज और उसके उत्पाद, मसाले आदि जैसे खाद्य पदार्थों के लिए उपयोगी हैं। इन परीक्षणों में खाद्य उत्पादों की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए संवेदी मूल्यांकन परीक्षण भी शामिल हैं। डीएआरटी पुस्तक में चित्रों के माध्यम से शुद्ध और मिलावटी खाद्य उत्पादों के बीच अंतर दर्शाया गया है।

## प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार–2026 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 अगस्त तक बढ़ी

नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबी)–2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है।

महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को जारी की गई जानकारी के मुताबिक पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से चल रही है। इच्छुक अभ्यर्थी, स्वयं नामांकन करने वाले बच्चे तथा कोई भी नागरिक अपनी अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल की हो।

पुरस्कार के लिए वही बच्चे पात्र हैं जो भारत के नागरिक हों, भारत में निवास करते हों तथा 31 जुलाई 2026 की स्थिति में उनकी आयु 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम हो। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पात्र बच्चों एवं

नागरिकों से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन करने की अपील की है।

## 101 करोड़ भारतीय सामाजिक सुरक्षा के दायरे में, ईपीएफओ के डिजिटलीकरण पर केंद्र का जोर

नई दिल्ली, 31 जुलाई।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के दायरे में अब करीब 101 करोड़ लोग, यानी देश की 68 प्रतिशत से अधिक आबादी शामिल है। इस उपलब्धि को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने भी सराहा है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि ऐसा संतुलित विकास मॉडल जरूरी है, जो एक ओर श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को आगे बढ़ाए, वहीं दूसरी ओर नियोक्ताओं के लिए कारोबार करने में आसानी भी सुनिश्चित करे।

राष्ट्रीय राजधानी में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स (एआईओई) और फिक्की की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित चौथे ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिलेशंस समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि औद्योगिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए सरकार, उद्योग, नियोक्ता, श्रमिक और ट्रेड यूनियनों के बीच लगातार समन्वय आवश्यक है, ताकि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन साथ–साथ आगे बढ़ सकें।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास के लिए औद्योगीकरण बेहद जरूरी है, क्योंकि यह रोजगार सृजन को गति देता है। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सहकारी मॉडल, विशेषकर महिलाओं के नेतृत्व वाली पहलों की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि ये आजीविका के अवसर बढ़ाने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

डॉ. मंडाविया ने रोजगार लोच में सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि अब जीडीपी में प्रत्येक 1 प्रतिशत की वृद्धि पर रोजगार में 1.11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि 12 वर्ष पहले रोजगार वृद्धि का यह आंकड़ा केवल 0.008

प्रतिशत था। उन्होंने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अपनी योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाला एकमात्र संस्थान नहीं रहेगा। उनके अनुसार, बेहतर प्रदर्शन करने वाले निजी अस्पतालों को भी ईएसआईसी सुविधाओं के रूप में नामित किया जा सकता है। उन्होंने इसे ईएसआईसी में होने वाले आगामी सुधारों का हिस्सा बताया।

केंद्रीय मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा दावों की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने और एकल यूएएन (यूएएन) के जरिए खातों के स्वतः हस्तांतरण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने बताया कि यूपीआई (यूपीआई) आधारित निकासी की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।

दक्षिण एशिया के लिए आईएलओ डीडब्ल्यूटी और भारत कार्यालय की निदेशक मिचिको मियामोतो ने कहा कि आईएलओ के अनुमान के अनुसार भारत में अब एक अरब से अधिक लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। (इनपुट–आईएएनएस)

## 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया

नई दिल्ली, 31 जुलाई।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में पंजीकृत लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सभी सेवाओं की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित शासन उपकरण के रूप में 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया है। पोषण ट्रैकर को गुजरात सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना लिया है। राज्यों के पास कार्यक्रम की डिजिटल निगरानी के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल हैं। गुजरात सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या, बच्चों और माताओं की संख्या पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

यह मिशन देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार, 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को गर्म पका हुआ भोजन (एचसीएम – हॉट कुक्ड मील) और घर ले जाने वाला राशन (टीएचआर – टेक–होम राशन) के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। साथ ही, गंभीर रूप से कुपोषित (एसएएम) बच्चों को भी घर ले जाने वाले राशन (टीएचआर) के रूप में अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाता है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और डेटा रिचार्ज की सुविधा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया गया है। इसके अलावा, पंजीकृत लाभार्थियों के नियमित विकास की निगरानी के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) में शिशुमापी, स्टेडीमीटर, नवजात शिशु वजन मापने की मशीन और माता एवं शिशु वजन मापने की मशीन जैसे विकास निगरानी उपकरण (जीएमडी) उपलब्ध कराए गए हैं।

## इतिहास के पन्नों में 01 अगस्तः जब महात्मा गांधी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन

नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 01 अगस्त 1920 अहम मोड़ लेकर आया, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत की बढ़ती ज्यादतियों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन भारतीयों को सत्याग्रह, अहिंसा और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर एकजुट करने का महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ।

असहयोग आंदोलन के तहत लोगों ने ब्रिटिश शासन की संस्थाओं से सहयोग करना बंद कर दिया। छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया और श्रमिकों ने बड़े पैमाने पर हड़तालें कीं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 1921 में कुल 396 हड़तालें हुईं, जिनमें 6 लाख से अधिक मजदूरों ने हिस्सा लिया और इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। यह ब्रिटिश शासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया।

यह आंदोलन केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा बल्कि गांव–कस्बों तक इसकी गूंज पहुंची। यह साल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार था जब अंग्रेजी शासन की नींव बुरी तरह हिली थी। हालांकि यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित था लेकिन 05 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी–चौरा कस्बे में आंदोलनकारियों के एक समूह ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।

गांधी जी इस हिंसक घटना से बहुत आहत हुए। उन्होंने यह कहते हुए कि असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया कि 'भारत इस समय अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है।'

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1732– बैंक ऑफ इंग्लैंड का उद्घाटन।

1831– नया लंदन ब्रिज यातायात के लिए खुला।
1834– ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी उन्मूलन अधिनियम 1833 लागू हुआ।
1869– भारतीय नागरिक सेवा अधिकारी हरकोर्ट बटलर उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे।
1883– ग्रेट ब्रिटेन में अंतर्देशीय डाक सेवा शुरू हुई थी।
1914– प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, जर्मनी द्वारा रूस।
1916– भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की शुरुआत की।
1936– एडोल्फ हिटलर ने बर्लिन में ओलिंपिक खेलों की शुरुआत की। हिटलर ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए इन खेलों पर पानी की तरह पैसा बहाया था।
1953– देश में सभी एयरलाइंस का हवाई निगम अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया।
1957– राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट) की स्थापना की गई।
1960– पाकिस्तान की राजधानी कराची से बदलकर इस्लामाबाद की गई।
1975 – दुर्बा बनर्जी वाणिज्यिक यात्री विमान का संचालन करने वाली विश्व की पहली पेशेवर महिला पायलट बनीं।

## क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद किसे मिलते हैं पीएफ खाते में जमा पैसे? ऐसे कर सकते हैं क्लेम

नई दिल्ली, 31 जुलाई।

शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो आज के समय में ये नहीं चाहता हो कि उसके पास पैसे न हो या फिर जमा धन न हो. लोग अपने भविष्य को लेकर भी काफी चिंतित रहते हैं. खासतौर पर नौकरी करने वाले लोग अपनी सैलरी में से कुछ पैसे जरूर बचाते हैं. जिन्हें वो बैंक में जमा करा देते हैं या फिर सही अन्य जगहों पर निवेश करते हैं.

इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि नौकरी करने वाले लोगों की सैलरी में से हर महीने एक अमाउंट काटकर उनके च्च् खाते में जमा किया जाता है. इस पैसे को आप नौकरी के बीच में और छोड़ने के बाद या फिर पेंशन के रूप में भी ले सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पीएफ खाताधारक की किसी कारण मौत हो जाती है तो फिर उसके पीएफ खाते में जमा पैसे किसे मिलते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

बात अगर ये की जाए कि नौकरी करने वाले लोगों का पीएफ कितना कटता है तो ये बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत कटता है. सरकार की ओर से पीएफ खातों पर अच्छा खासा ब्याज भी दिया जाता है. पीएफ खाते की खास बात ये है कि जरूरत पड़ने पर कोई भी कभी भी अपने अकाउंट से पैसों को निकाल सकता है. घर में शादी या किसी की तबीयत खराब होने पर भी पैसे निकाले जा सकते हैं अगर घर बनवाना हो तो भी पैसे निकाले जा सकते हैं.

अगर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है तो फिर कर्मचारी म्च्च् के नियम के मुताबिक खाते की पूरी राशि नॉमिनी को सौंप देता है. पीएफ खातों में पहले ही नॉमिनी का नाम दर्ज कर दिया जाता है. इसके बाद नॉमिनी पीएफ

खाताधारक के खाते की राशि के लिए डेथ क्लेम हासिल कर सकता है. इसके लिए उन्हें पोस्ट ऑफिस या फिर म्च्च् की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया डेथ क्लेम फॉर्म भरकर क्लेम राशि के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

पीएफ खाताधारक की मौत के बाद उसके नॉमिनी को खाताधारक की पूरी जानकारी के साथ फॉर्म 20 भरकर जमा करना होता है या फॉर्म उसे कंपनी के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है. खाता धारक जिस कंपनी में आखिरी समय तक काम कर रहा था सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरने के बाद इसे जमा कर दिया जाता है. नॉमिनी को क्लेम की जानकारी प्रोवाइड कराए गए फोन नंबर पर दे दी जाती है. जिसके बाद बैंक खाते में पैसे आ जाते हैं.

पीएफ डेथ क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले नॉमिनी का पीएफ अकाउंट नंबर नॉमिनी की बाकी जानकारी नाम पता पहचान पत्र, और मोबाइल नंबर के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे डेथ क्लेम फॉर्म पीएफ अकाउंट होल्डर डेथ सर्टिफिकेट और अकाउंट होल्डर का पासबुक जरूरी होता है. बता दे अगर पीएफ खाता धारक का कोई नॉमिनी नहीं है तो फिर अमाउंट कानूनी उत्तराधिकारी को मिलता है.

# केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना को दी मंजूरी, 36,441 करोड़ रुपये होंगे खर्च

नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों (एएनएसएफ) के लिए बढ़ी हुई सहायता योजना को मंजूरी दे दी। वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक के लिए दोनों योजनाओं पर कुल 36,441 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार ने इसे स्वतंत्रता के बाद देश का सबसे महत्वाकांक्षी खेल विकास कार्यक्रम बताया है।

संशोधित योजना का लक्ष्य देश के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को स्कूल और गांव के खेल मैदान से लेकर ओलंपिक मंच तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार करना है। योजना को खेलो भारत नीति–2025 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें खेल, शिक्षा, फिटनेस, तकनीक और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण को एक साथ जोड़ा गया है। साथ ही 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और भारत की ओलंपिक व पैरालंपिक मेजबानी की महत्वाकांक्षा को भी ध्यान में रखा गया है।

योजना के तहत राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई), खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र, खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियां, खेलो इंडिया केंद्र और सशस्त्र बलों की युवा खेल कंपनियों को एकीकृत कर देशभर में मजबूत खेल तंत्र विकसित किया जाएगा।

स्कूल स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान के लिए पहली बार खेलो इंडिया फीडर स्कूल (केआईएफएस) और खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय (केआईयूवी) शुरू किए जाएंगे, जिससे शिक्षा के साथ खेलों को भी समान महत्व मिलेगा।

सरकार ने मौजूदा खेलो इंडिया एथलीट कार्यक्रम के साथ इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट (ई–केआईए) श्रेणी भी शुरू करने का फैसला किया है। इससे संगठित खेल विकास प्रणाली में शामिल खिलाड़ियों की संख्या लगभग दस गुना तक बढ़ जाएगी। प्रतिभा पहचान समितियां, टैलेंट स्काउट, हाई परफॉर्मेंस निदेशक और प्रबंधक देशभर में खिलाड़ियों की पहचान और निगरानी करेंगे।

फिट इंडिया आंदोलन का दायरा बढ़ाकर युवाओं में फिटनेस संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी, सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों में खेलों का विस्तार तथा नशामुक्ति जैसे अभियानों को भी इससे जोड़ा जाएगा।

कोचों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कोच मान्यता बोर्ड (एनसीएबी) बनाया जाएगा। वहीं खिलाड़ियों का डाटा, प्रतियोगिताएं, खेल ढांचा, कोचिंग संसाधन और फंडिंग को जोड़ने वाला एक एकीकृत डिजिटल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म भी विकसित किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल महासंघ सहायता योजना (एएनएसएफ) को भी 2026–31 के लिए मंजूरी दी है। इसके तहत खिलाड़ियों और टीमों को कोचिंग, खेल विज्ञान, आधुनिक उपकरण, विदेशी प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी, विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं और प्रशिक्षण शिविरों के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। साथ ही ग्लोबल साउथ देशों के साथ खेल सहयोग और भारतीय पारंपरिक खेलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा।

# केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी दी, 84,084 करोड़ की योजना से बढ़ेगी देश की ऑफशोर ऊर्जा क्षमता

नई दिल्ली, 31 जुलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'समुद्र मंथन' (नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम) को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर वित्त वर्ष 2030–31 तक 84,084 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, घरेलू तेल–गैस उत्पादन बढ़ाना और समुद्री संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य

– समुद्र में तेल और गैस की खोज व उत्पादन को नई गति देना।
– बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले सीस्मिक डेटा का संग्रह, प्रोसेसिंग और विश्लेषण करना।
– गहरे और अति–गहरे पानी वाले क्षेत्रों में तेजी से ड्रिलिंग करना।
– फ्रंटियर बेसिन में वैज्ञानिक ड्रिलिंग करना।
– साझा ऑफशोर उत्पादन और परिवहन अवसंरचना का विकास करना।
– एकीकृत ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विसेज जोन की स्थापना करना।

इसके अलावा, योजना में डिजिटल प्रबंधन, क्षमता निर्माण, नई तकनीकों का अडॉप्शन, हितधारकों का समन्वय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को भी शामिल किया गया है।

अपेक्षित लाभ–

– 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट से अधिक

नए तेल–गैस भंडार की खोज।
– ऑफशोर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन।
– 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को मजबूती।
– स्वदेशी विनिर्माण, आधुनिक तकनीक और सेवाओं का विकास।
– बड़े निवेश का आकर्षण और आर्थिक विकास को गति।

सरकार ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस 2025 के भाषण में दिए गए 'आधुनिक समुद्र मंथन' के विजन को साकार करेगी। पिछले दशक में किए गए सुधारों (पूरे ऑफशोर क्षेत्र को खोलना, कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण) के आधार पर अब यह योजना ऑफशोर तेल–गैस क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करेगी। यह फैसला भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। (इनपुट–एजेंसी)

# महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1 से 7 अगस्त, 2026 तक मनाएगा 'विश्व स्तनपान सप्ताह'

नई दिल्ली, 31 जुलाई। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 से 7 अगस्त 2026 तक पूरे देश में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य परिवारों, समुदायों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच स्तनपान की शीघ्र शुरुआत, पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान और उचित पूरक आहार के साथ–साथ दो वर्ष और उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

स्तनपान शिशु के जीवित रहने, स्वस्थ विकास और संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। मंत्रालय परिवारों से आग्रह करता है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म के पहले घंटे के भीतर (गोल्डन आवर) माँ का दूध मिले। पहला दूध, कोलोस्ट्रम, जिसे अक्सर शिशु का पहला प्राकृतिक टीका कहा जाता है, एंटीबॉडी और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसे फेंका नहीं जाना चाहिए।

पहले छह महीनों तक शिशु को केवल स्तनपान कराना चाहिए और पानी, शहद, घुट्टी, ग्लूकोज या डिब्बा बंद दूध बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। इस दौरान शिशु की सभी पोषण और पानी संबंधी जरूरतें केवल स्तनपान से ही पूरी होती हैं। छह महीने बाद, पूरक आहार शुरू करना चाहिए और साथ ही दो साल या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखना चाहिए। माताओं को जन्म के बाद शिशु के साथ निकट संपर्क बनाए रखने, बार–बार स्तनपान कराने और आवश्यकता पड़ने पर आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कामकाजी माताएं स्तन दूध निकालकर सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकती हैं। स्तनपान माताओं के लिए भी फायदेमंद है–प्रसवोत्तर स्वास्थ्य लाभ में सहायता करता है और स्तन और अंडाशय के कैंसर, टाइप–2 मधुमेह और प्रसवोत्तर अवसाद के जोखिम को कम करता है।

मंत्रालय स्वास्थ्य पेशेवरों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं, परिवारों और नागरिकों से एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान करता है जहां प्रत्येक मां को स्तनपान कराने के लिए सशक्त बनाया जा सके और प्रत्येक बच्चे को जीवन में सर्वोत्तम संभव शुरुआत मिल सके।

# नौसेना को मिला दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल 'निपुण', समुद्र में बचाव अभियानों को मिलेगी नई ताकत

नई दिल्ली, 31 जुलाई। भारतीय नौसेना को गुरुवार को स्वदेशी रक्षा निर्माण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) द्वारा निर्मित दूसरा डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी) 'निपुण' विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। करीब 75% स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह पोत गहरे समुद्र में डाइविंग, खोज एवं बचाव अभियानों की क्षमता को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करेगा।

'निपुण' का डिजाइन और निर्माण इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) के वर्गीकरण मानकों के अनुरूप किया गया है। संस्कृत शब्द 'निपुण' का अर्थ दक्ष, सक्षम और पारंगत होता है। अपने नाम के अनुरूप यह पोत गहरे समुद्र में डाइविंग और समुद्री बचाव अभियानों के लिए अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है।

इस पोत में आधुनिक डाइविंग उपकरण लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यह डीप सी सैचुरेशन डाइविंग जैसे जटिल और लंबी अवधि के अभियानों को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा, इसमें साइड डाइविंग स्टेज की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे विभिन्न प्रकार के समुद्री डाइविंग ऑपरेशन अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकेंगे।

'निपुण' में लगाए गए रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (आरओवी) इसकी परिचालन क्षमता को और मजबूत बनाते हैं। इनकी सहायता से गोताखोरों की निगरानी, गहरे समुद्र में खोज एवं बचाव

अभियान तथा सल्वेज (मलबा निकालने) जैसे कार्य अधिक प्रभावी तरीके से किए जा सकेंगे।

यह पोत डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल (डीएसआरवी) के लिए 'मदर शिप' के रूप में भी कार्य करेगा। पनडुब्बी में किसी आपात स्थिति के दौरान डीएसआरवी के संचालन और उसमें फंसे नौसैनिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

करीब 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री से निर्मित 'निपुण' की डिलीवरी 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत स्वदेशी जहाज निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके भारतीय नौसेना में शामिल होने से गहरे समुद्र में डाइविंग, खोज एवं बचाव और समुद्री आपदा प्रतिक्रिया अभियानों की क्षमता को नई मजबूती मिलेगी। (इनपुट– आईएएनएस)

# केंद्र सरकार ने चीनी की स्टॉक लिमिट तय की, नये नियम 1 अगस्त से लागू होंगे

नई दिल्ली, 31 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा सख्त कदम उठाया है। सरकार ने बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी कारोबारियों के लिए नई स्टॉक रखने की सीमा लागू किया है। सरकार के नए आदेश के तहत अब कोई भी चीनी डीलर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। ये नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू रहेगा।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और सरकारी चीनी भंडार को इस नई स्टॉक सीमा से छूट दी गई है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि कोई भी चीनी डीलर 30 दिन से ज्यादा समय तक स्टॉक या भंडार न रखे। साथ ही चीनी की कीमतों को काबू में रखने की कोशिशों के तहत चार हजार क्विंटल की स्टॉक सीमा तय की गई है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार सभी चीनी डीलरों को

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हर हफ्ते अपने चीनी स्टॉक की जानकारी देनी होगी और स्टॉक की स्थिति को अपडेट करना होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों को भी अधिकार दिया है कि अगर जरूरी हो तो वे केंद्र की ओर से तय सीमा से कम स्टॉक लिमिट लागू कर सकते हैं। इस कदम का मकसद बाजार में चीनी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना, जमाखोरी पर अंकुश लगाना और कीमतों को कंट्रोल रखने में मदद करना है।

# भारत की पहली फ्लाइट–प्रूवन सैटेलाइट बैटरी विकसित, आयात पर कम होगी निर्भरता

नई दिल्ली, 31 जुलाई। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को भारत में स्वदेशी रूप से विकसित पहली 'फ्लाइट हेरिटेज' प्राप्त सैटेलाइट बैटरी की उपलब्धि पर हैदराबाद स्थित स्पेस स्टार्टअप टेकमी2स्पेस की सराहना की। कंपनी की 'पावरबैंक–50' बैटरी अंतरिक्ष में सफल प्रदर्शन के बाद यह प्रतिष्ठित दर्जा हासिल करने वाली देश की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी बन गई है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस उपलब्धि को शानदार बताते हुए वित्त मंत्री ने लिखा, "अब तक भारतीय सैटेलाइट निर्माता इस महत्वपूर्ण कंपोनेंट को अधिक कीमत और लंबी प्रतीक्षा अवधि के साथ आयात करने को मजबूर थे।" यह उपलब्धि 18 जुलाई को लॉन्च किए गए स्काईरूट एयरोस्पेस के 'विक्रम–1' रॉकेट के पहले मिशन 'आगमन' के दौरान पावरबैंक–50 की सफल तैनाती के बाद हासिल हुई।

इस बैटरी ने 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर रॉकेट के ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल में स्थापित कॉसमोसर्व स्पेस के प्रायोगिक पेलोड को ऊर्जा प्रदान की और पूरे मिशन के दौरान सफलतापूर्वक कार्य किया। टेकमी2स्पेस के अनुसार, इस सफल उड़ान के बाद बैटरी को 'फ्लाइट हेरिटेज' का दर्जा मिला है। अंतरिक्ष उद्योग में यह एक महत्वपूर्ण प्रमाणन माना जाता है, जो किसी कंपोनेंट के ऑर्बिट में सफल प्रदर्शन को प्रमाणित करता है।

कंपनी ने बताया कि इस प्रमाणन से सैटेलाइट निर्माताओं, लॉन्च सेवा प्रदाताओं और बीमा कंपनियों का भरोसा काफी बढ़ेगा, क्योंकि वे आमतौर पर अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक इस्तेमाल हो चुके हार्डवेयर को प्राथमिकता देते हैं। कंपनी के मुताबिक, इस बैटरी पैक में हाई–एनर्जी–डेंसिटी वाली लिथियम–आयन सेल, एक स्मार्ट बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड सेल हीटर और हल्का एल्युमिनियम एनक्लोजर दिया गया है। इसे लॉन्च के दौरान होने वाले कंपन, विकिरण, निर्वात और अंतरिक्ष के अत्यधिक तापमान में भी सुरक्षित और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

स्टार्टअप का कहना है कि इस उपलब्धि से भारत की आयातित सैटेलाइट बैटरियों पर निर्भरता कम होगी, जो अकसर महंगी होती हैं और जिनकी खरीद में काफी समय लगता है। स्वदेशी और उड़ान–सिद्ध ऊर्जा प्रणाली देश के तेजी से बढ़ते छोटे सैटेलाइट इकोसिस्टम को मजबूती देगी और स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के लिए सैटेलाइट विकास को अधिक किफायती बनाएगी। टेकमी2स्पेस ने बताया कि यह कॉम्पैक्ट बैटरी 50 वॉट–घंटे से अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकती है, इसका वजन लगभग 380 ग्राम है और इसे क्यूबसैट तथा माइक्रो सैटेलाइट को लो–अर्थ ऑर्बिट में पांच वर्ष तक के मिशनों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराने हेतु डिजाइन किया गया है।(आईएएनएस)

# ओडिशा के युवक के अंगदान से चार को मिलेगा नया जीवन, वंदे भारत ट्रेन से पहली बार पहुंचा लाइव हार्ट

सूरत, 31 जुलाई (हि.स.)। ओडिशा के युवक के अंगदान से चार को जीवन मिलेगा। ओडिशा निवासी मिथुन सूरत के किम स्थित पीपोदरा में एक कपड़ा कारखाने में कार्यरत था। मिथुन के ब्रेन डेड घोषित होने के बाद उनके परिवार ने अंगदान का निर्णय लिया। उनके हृदय, दोनों किडनी और लीवर के दान से चार मरीजों को नया जीवन मिलेगा।

भारतीय रेलवे ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जीवित मानव हृदय (लाइव हार्ट) का सफल परिवहन किया है। सूरत से अहमदाबाद तक मात्र 217 मिनट में मिथुन के हृदय को सुरक्षित पहुंचाया गया, जिससे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए समय पर अस्पताल तक पहुंचाने की बड़ी चुनौती सफलतापूर्वक पूरी की गई। मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 20901) के जरिए लाइव हार्ट को अहमदाबाद पहुंचाया गया। हृदय को सुबह 9.18 बजे सूरत से रवाना किया गया और 12.55 बजे अहमदाबाद स्थित यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंचा दिया गया। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर–1 से अस्पताल तक विशेष ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया, जिससे बिना किसी विलंब के हृदय अस्पताल पहुंच सका।

# बुखार के दौरान ये छोटी–सी गलती बढ़ा सकती है परेशानी, ठंडे पानी से नहाना पड़ सकता है भारी

नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। मानसून शुरू होते ही कई तरह की बीमारियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। लगातार बारिश, जगह–जगह पानी भरना और नमी बढ़ने से मच्छरों की संख्या भी बढ़ जाती है। इसी वजह से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल बुखार और टाइफाइड जैसी बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं। इन बीमारियों का सबसे आम लक्षण बुखार होता है।

जब घर में किसी को बुखार आता है, तो अक्सर बड़े–बुजुर्ग कहते हैं कि इस समय नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बुखार और बढ़ जाएगा। लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। बुखार में सही तरीके से नहाने से शरीर को आराम मिलता है और व्यक्ति पहले से बेहतर महसूस करता है।

वास्तव में बुखार कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर का एक चेतावनी संकेत है। जब कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है, तो उससे लड़ने के लिए हमारा सिस्टम शरीर का तापमान बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि बुखार आना इस बात का सबूत है कि शरीर संक्रमण से मुकाबला कर रहा है। इसलिए केवल दवा देकर बुखार कम कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि यह पता लगाना भी बेहद जरूरी है कि बुखार आने की असली वजह क्या है।

डॉक्टरों के मुताबिक, अगर बुखार होने पर व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है और खुद से खड़ा हो सकता है, तो वह गुनगुने पानी से आराम से नहा सकता है। गुनगुना पानी शरीर को धीरे–धीरे आराम पहुंचाता है। इससे पसीना और गंदगी साफ होती है, शरीर हल्का महसूस होता है और कई बार अच्छी नींद भी आती है।

वहीं बहुत ठंडे पानी से नहाना सही नहीं माना जाता। कई लोगों को लगता है कि ठंडा पानी शरीर का तापमान जल्दी कम कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ठंडा पानी शरीर पर पड़ता है, तो शरीर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। इससे कपकपी छूटती है और व्यक्ति को पहले से ज्यादा परेशानी महसूस हो सकती है। इसलिए बुखार के समय नहाने में बहुत ठंडा पानी इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

इसी तरह बहुत गर्म पानी से भी नहाना ठीक नहीं है। ज्यादा गर्म पानी से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और कमजोरी बढ़ सकती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि सामान्य गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जाए।

अगर किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि वह नहा सके, तो ऐसे में गुनगुने पानी में साफ कपड़ा भिगोकर पूरे शरीर को धीरे–धीरे पोंछना चाहिए, ताकि शरीर साफ रहे और आराम भी मिले।

बुखार के समय सबसे जरूरी बात यह है कि शरीर में पानी की कमी न होने दें। बुखार आने पर शरीर से पसीना ज्यादा निकलता है, जिससे पानी की कमी हो सकती है। इसलिए बार–बार पानी पीना चाहिए। इसके अलावा नारियल पानी, ओआरएस, सूप, छाछ और दूसरे तरल पदार्थ भी फायदेमंद होते हैं। खाने में हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन जैसे खिचड़ी और दलिया आदि लेना अच्छा माना जाता है। अगर बुखार एक–दो दिन में ठीक नहीं हो रहा या लगातार बढ़ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।–आईएएनएस